

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर  
 रामखिलाड़ी बनाम राज. सरकार  
 किस्म मुकदमा प्र.पत्र 136 LRA नं. 52/24 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08-10-25	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, भुसावर क्वॉट रिपोर्ट प्राप्त। हमने प्र.पत्र पर प्राथी वकील को सुना गया। उन्होंने खवगत कराया कि आ.ख.नं. 458 रकबा 0.55, 468 रकबा 0.64 हेक्टे. बिके ग्राम गाजीपुर तह. भुसावर की आराजीमें प्रार्थी का नाम रामखिलाड़ी के स्थान पर बलवीर राजेश्व कर्मचारियों की रखन गलती से दर्ज हो गया। अतः इन्हें को शुद्ध किये जाने बखर निवेदन किया गया।</p> <p>हमने क्वॉट पर प्रार्थी वकील को सुना गया। अहम पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इतमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का बली मौति अध्ययन किया गया। इन्हें के आधार पर हर प्रार्थी पर प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 458, 468 बिके ग्राम गाजीपुर में प्रार्थी का नाम बलवीर के स्थान पर रामखिलाड़ी पुत्र कलुआ किया जावे।</p> <p>पत्रावली फैसलें शुमार होकर नंबर से पत्रों के, बाक तहसील जासा देखिये क्वॉट हो।</p>	

↓  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भुसावर (भरतपुर) राज.